

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाषनं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)  
क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/566 दिनांक :- 06/02/2026

**कार्यालय आदेश**

श्री वीरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), रोल नं- 754566 को कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक 3351 दिनांक 11.12.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम-96 के अन्तर्गत एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

**दिनांक 10.04.2025 से 23.04.2025 तक (कुल 14 दिवस)**

**(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)**

उक्त 14 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज कार्मिक श्री वीरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

**यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।**

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/566 दिनांक :- 06/02/2026  
**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

- 1 कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 वीरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), रोल नं-754566 कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।

5 रक्षित/निजी पत्रावली  
**Signature valid**

Digitally signed by Seema Kaushal  
Designation: Joint Director  
Date: 2026.02.05 12:02:47 IST  
Reason: Approver



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

RajKaj Ref No.:  
20293045  
eSign 1.0